(60)

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियार,

पुनरीक्षण याचिका कमांक- /2018

निगरानी-0220/2019/जबलपुर/भू०रा०

पुनरीक्षणकर्तागणः- 1. देवेन्द्र कुमार विश्वकर्मा

2. प्रवीण कुमार विश्वकर्मा दोनों के पिता स्व0 भगवानदास विश्वकर्मा सभी निवासी- बरछैया, पनागर, जिला जबलपुर

विरूद्ध

उत्तरवादीगणः- 1. दिलीप कुमार पिता श्री संतोष कुमार निवासी म.नं. 4485/2 कांचघर चौक जबलपुर,

2. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय, जबलपुर,

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा. संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 68अ-2017/18 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2018 एवं पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक-68/अ-2017-18 में पारित आदेश दिनांक 14/12/2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण के पिता स्व. भगवान दास विश्वकर्मा ने अपने जीवन काल में मौजा खैरी, नं.ब. 570, प.ह.नं. 17/20 नया 61 तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 216/1 में रकबा 1950 वर्गफुट प्लाट नंबर 62 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19 जुलाई 1999 के माध्यम से क्रय किया था जिसे विक्रेता दिलीप कुमार साहा ने रजिस्टर्ड

True copy

R- 220/2019/जबलपुर/मूल

29/11/19 जबलपुर	प्रस्तुतकार आवेदक मय अधि० उपस्थित होकर निवेदन किया है, कि इन दस्तावेज सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण के दस्तावेज वापस किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस न्यायालय से प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	[illegible] वादीगण [illegible]

[पीछे देखिये